

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमोंक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी- 8/2014-15/

दिनांक 5 जनवरी 2016

समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा  
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा

**विषय- नियमित व रिब्यू डीपीसी के माध्यम से पातेय वेतन प्रधानाध्यापक का प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पदोन्नति।**

वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के विरुद्ध विषयान्तर्गत पदोन्नत कार्मिकों द्वारा निदेशालय में उपस्थित होकर पदोन्नत पद प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

पातेय वेतन प्रधानाध्यापक, जिनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) में नियमित व रिब्यू डीपीसी के उक्त चयन वर्षों के विरुद्ध में वर्ष 2015 में पदोन्नत हो चुके हैं एवं विभाग द्वारा उनका पदस्थापन आदेश जारी किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि -

पदस्थापित विद्यालय में पद रिक्त होने पर सीधे ही संस्था प्रधान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। यह व्यवस्था केवल 11 जनवरी 2016 तक उपलब्ध रहेगी। 11 जनवरी 2016 के पश्चात् कार्यभार ग्रहण से वंचित अभ्यर्थियों की पदोन्नति निरस्त करने पर विचार किया जायेगा एवं निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना वे कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकेंगे।

यदि पदस्थापित विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो शालादर्पण के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी अंकित करते हुए आवेदन पत्र विभागीय मेल [so.csection@gmail.com](mailto:so.csection@gmail.com) पर प्रेषित किए जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

5/1/2016


(सुवालाल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त संस्था प्रधान।

  
अनुभाग अधिकारी(संस्थापन-सी)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर